

12/01/2021

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ।  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/02/21... को पेश की जावे।

*[Signature]*

18/2/2021 पत्रावली पेश हुई। वसीत उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली उभय पक्ष वसीत वरी पत्रावली पर आज कोई कार्य नहीं हुआ। वसीत उभय पक्षों को शांत वारी बंद की जाय। पत्रावली पर दिनांक 23/2/21 से पेश की

*[Signature]*  
*[Signature]*

पत्रावली वारी तिथि दिनांक 23/2/21 से पेश की

*[Signature]*

12/01/2021

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली में विलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी श्रमिधारी तहसीलदार वावतगारा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादी दितरमल जैन उर्फ दितरमल जैन द्वारा ग्राम महुपुरा के आंक 38/2(घ) बरका 11 अके 2.38 डे. जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.1988 के द्वारा अपने नाम दितरमल पिता देसरीमल

आवेदनकर्ता

आवेदनकर्ता

जाति जैन निवारी लाम्बरवाह जिला-धुन्डी  
के नाम पंजीयन क्रमांक 275 पर पंजीबद्ध  
कराये जाने से नामान्तरण करण्य। 47  
दिमांक 08/08/1988 को रवोला जाकर  
वकीलता किया गया है तबसे वर्तमान  
राजस्व रेकार्ड तक प्राणी का नाम बितरमल  
पिता केसरीमल अंकित है। ग्रामि वादी  
द्वारा उक्त कृषि भूमि जग्गे विक्रय पत्र  
हस्त की गई है एवं पंजीयन भी क्वचं  
कराया गया है। राजस्व रेकार्ड में शुद्धि  
हेतु वादी निममानुसार शुद्धि पत्र तैयार  
कर उपपंजीयन से पंजीयन करा निममानुसार  
रेकार्ड में शुद्धिकरण की कार्यवाही पूर्ण  
करायें। उक्त आधार पर वाद इसी क्रम  
पर निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु  
प्राणी को सूचित कराते हुए वसन्थाभालय  
से सम्बन्धित नही होने से फावली  
पेसल सुमार लेकर नम्बर से कम हो।

